फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री गोपाल कंसारा पिता स्व. उदयलाल निवासी देवगढ़ मदारिया, जिला राजसमन्द
– अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द **– प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 06/2021**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 16.02.2021

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा जरिये क्रमांकः प.1( )सू0अ0,05/2021/90–91 दिनांक 28.01.2021 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 08.12.2020 को सूचना के अधिकार अधिनियम,05 के तहत इस कार्यालय को दिनांक 14.12.2020 को व इस अनुभाग को 14.12.2020 को प्राप्त हुआ हैं। आरटीआई आवेदन के बिन्दु संख्या 01 व 02 तक की जो सूचना अपीलार्थी द्वारा चाही गई उसके संबंध में बिन्दु संख्या 01 प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग एवं बिन्दु संख्या 02 की प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग को सूचना उपलब्ध कराने हेतु इस अनुभाग के पत्रांक 1079–80 दिनांक 15.12.2020 से लिखा गया। प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग द्वारा बिन्दु संख्या 01 की सूचना अनुभाग से संबंधित नही होना बताये जाने पर कार्यालय के प्रभारी अधिकारी सम्पर्क अनुभाग को पत्रांक 11 दिनांक 07.01.2021 से सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया। कार्यालय के दोनो अनुभागो से बिन्दु संख्या 01 व 02 की सूचना जो अभिलेख पर उपलब्ध थी वह अपीलार्थी को जरिये पत्रांक 35 दिनांक 15.01.2021 से जरिये रजिस्र्टड आरटीआई 7(6) के तहत निःशुल्क भिजवाई जा चुकि हैं।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्टानुसार अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध कराये जाने से उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द